मुकदमा नम्बर 108/19 दावा

20/12/19 पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उप०। पत्रावली का अवलोकन किया व तथ्यों पर गौर किया। तथ्य इस प्रकार से है कि यह प्रकरण धारा 88 RTAct एवं धारा 136 LR Act के तहत इन तथ्यों के साथ पेश किया है कि तहसील राजगढ़ के ग्राम ग्राम जोतपुर के आराजी ख०नं० 561 रकबा 02 बीघा 5 बिस्वा पर वर्तमान जमाबन्दी सं० 2070-73 में नेकराम पुत्र कृपाराम हि० 1/6 व रतीराम, जगराम सिंह, ~~रतीराम~~ रामवीर सिंह, रामचरन पि० गुरदेराम सा० बरना, श्रीमती देवी पुत्री गुरदेराम पत्नी श्री भगवान सा० बेगनपुर तह० कठूमर, शीलादेवी पुत्री गुरदेराम पत्नी रामधन सा० महारी तह० बाह व गुरदेराम पुत्र रामदेव जाति मूरी हि० व 1/24 कौम गूजर, परसराम, अमर सिंह जरधन सिंह पुत्र पंचम सिंह हि० व० 1/8 व सरदार पुत्र सीताराम हि० 1/12, मुन्शी, प्रभू, जनक सिंह पि० किशनलाल हि० व० 1/16, नेमीचन्द, रमेश पि० मेघराज हि० व 1/48, लकूरी पुत्र भवानी हि० 2/9, रघुवीर, जगदीश, कल्यान पि० मूली हि० व 1/6 कौम गूजर, रामदेव पुत्र रामस्वरूप, राधेश्याम पुत्र शिवा सिंह हि० व 4/9 कौम निषाद सा० देह खातेदार, रघुवीर, जगदीश, कल्यान हि० व 1/6 शामिल है 07 शामिल औसत, मु० बिक० दर्ज किया है। जो कि सम्पूर्ण खाते का हिस्सा 1/3 अधिक है। जिससे सेटलमेन्ट में खाता अपवादित रहता है। पूर्व की जमाबन्दियों का अवलोकन करने पर पाया गया कि बन्दोबस्त से पूर्व जमाबन्दी सं० 2018-21 में खसरा नं० के नम्बर 422 के सभी खातेदारों के हिस्से का योग पूर्ण (एक) बाद की जमाबन्दियों में हिस्सा 1/3 बढ़ गया, जिसकी जाँच करने पर पाया गया कि त्रुटि से लकूरी का हिस्सा 1/3 के स्थान पर 2/3 कर दिया गया है। जिससे खातेदारों के हिस्से का योग 1/3 बढ़ गया है। खतौनी बन्दोबस्त में ख०नं० 561 रकबा 2 बीघा 5 बिस्वा पर हरफूलराम, लकूरी पुत्रान भवानी का हिस्सा 1/3 होना चाहिए था। जिसे निर्जिल बन्दोबस्त में त्रुटि से 2/3 दर्ज कर दिया गया, जिसके अनुसार ही आज दिनांक तक हिस्सा दर्ज है।

उपखण्ड अधिकारी

इसी प्रकार इस स्व. ने वर्तमान में
रामेश्वर पुत्र रामस्वरूप, राधेश्याम पुत्र पुत्र शिवासिंह
हि. बराबर 4/9 कोम मिश्र स्व.देह खातेदार दर्ज
है। अभी जमाबन्दियों के अवलोकन से यह पाया
गया कि इनका वास्तव में हिस्सा 2/9 होना
चाहिये था जो गलती से 2/9 के स्थान पर 4/9
दर्ज हो गया है क्योंकि इनके विक्रेताओं का वास्तव
में 2/9 ही हिस्सा था अपने हिस्से से अधिक
हिस्सा बेचने का उन्हें अधिकार नहीं था
इसलिए इनका वास्तव में 2/9 हिस्सा ही दर्ज
होना चाहिये था। जिसे शुद्ध किये जाने के
आदेश दिये जावें।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर
प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया
गया प्रतिवादी सं 2 व 3 ने न्यायालय में उपस्थित
होकर अपना इकबाल दावा प्रस्तुत किया
गया तथा दावा पर कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं
प्रतिवादी सं 3 आदि अदालत नाजिर रहा

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा
प्रस्तुत रिकार्ड पर गौर किया प्रस्तुत रिकार्ड
के अवलोकन एवं प्रतिवादीगण के इकबालदावा
के पश्चात हम तथ्यों से सहमत हैं तथा
दावा डिक्री किया जाना एवं धारा 136 LR Act
स्वीकार किया जाना उचित समझते हैं।

अतः आदेश है कि दावा वादी डिक्री
किया जाकर तहसील राजाखेड़ा के राजस्व ग्राम
जोतपुर के खसरा 65 पर वर्तमान जमाबन्दी
सं 2070-73 में आ.ख.नं 58। रकबा 2 बीघा 05 बिस्वा
पर दर्ज खातेदारों में रामेश्वर पुत्र रामस्वरूप,
राधेश्याम पुत्र शिवासिंह का हिस्सा 4/9 के स्थान
2/9 घोषित किया जाता है तथा राजस्व रिकार्ड में
4/9 के स्थान पर 2/9 दर्ज किये जाने के आदेश दिये
जाते हैं। इसी प्रकार इसी बारे में लफूरी पुत्र
भवानी का हिस्सा जो गलती से 2/9 दर्ज हो गया
है उसे अब शुद्ध किया जाकर 2/9 के स्थान पर
1/9 दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।
फर्द डिक्री मय की सिविल डिक्री की प्रति पालनार्थ
तहसीलदार राजाखेड़ा को भेजी जावे शेष इन्द्राज
बदस्तूर रहेंगे। पत्रावली फैसल शुमार होकर
दाखिल दफ्तर हो। हुक्म सुनाया गया।